तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
02/12/22	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 02, 5 से 07, 09, 11, 13 ने जवाब पेश किया शा.कि हो। अन्य अप्रार्थीगण की तामिल हो रखी है जवाब पेश नहीं किया एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी के मौका रिपोर्ट मंगवाने के आवेदन पर बहस सुनी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र 212 R.T.A. पर बहस सुनी। प्रार्थी ने तर्क किया कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी को लेकर प्रार्थी ने एक काश्तकारी उद्घोषणा का दावा कर रखा है उसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी की नानी के नाम प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज थी जो प्रार्थी की माता के नानी से पूर्व निधन के कारण नानी के देहान्त पर प्रार्थीगण के नाम दर्ज होने के स्थान पर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि नामांतरण

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 61 ग्राम सरनु पनली में दर्ज राजस्व कार्मिकों ने किया लेकिन पंचायत ने खारिज कर दिया तथा अप्रार्थीगण से मिलिभगत कर दर्ज कर दिया । अप्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रार्थी ने इतने वर्षों बाद दावा किया है जो limitation से बाहर है । अप्रार्थीगण का ही कब्जा-काश्त है तथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के विधिवत रूप से प्रथम श्रेणी के खातेदार के रूप में दर्ज हुए है अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र कोस्ट लगाकर खारिज किया जावे । हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी, प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया तो पाया कि नामांतरण संख्या 61 दिनांक 08-03-63 में कॉलम नं. 14 में प्रार्थी के नामों का उल्लेख है साथ ही कॉलम 11 में भी प्रार्थी के नाम का उल्लेख है, साथ ही सरपंच ने जो नामान्तरण खारिज किया है उसके कॉलम संख्या 16 मे प्रमाणित किया है कि सिणगारी के एक पुत्री खेतु थी जो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मौत हो गयी जबकि अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि सिणगारी लाऔलाद मौत हुई । अर्थात दस्तावेजों से यह है स्पष्ट है कि सिणगारी के खेतु नाम की पुत्री थी इस प्रकार प्रार्थी का दावा तो वाद में तय होगा लेकिन प्रथम दृष्टया मामला बनता है, अगर अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को खुर्दबुर्द करते है तो भी अपूरणीय क्षति प्रार्थी को ही होगी । इस प्रकार प्रथम-दृष्टया मामला बनने तथा सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक सिणगारी के हिस्से में आई भूमि (1/2) हिस्सा तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है पत्रावली मिशल-शुमार हो नं.-से कम हो दाखिल दफ्तर हो मूलवाद के साथ सिलान हो ।
	[signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर